प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

[23/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 833]

(7)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 833 ग्रामीण विद्युतीकरण की जानकारी हेतु सदन के पटल दिनांक 23.2.17 परिशिष्ट 35

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि. खजुराहो संभाग

क्र./का.सं.ख./स्टेनो/वि.जॉंच/2015–16/ खजुराहो दिनांक ....

प्रति,

श्री के. एन. चतुर्वेदी, कनिष्ठ अभियंता
म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि.
वितरण केन्द्र– बारीगढ़।

(गोपनीय)

द्वारा :– सहायक अभियंता (सं./सं.) म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि. उपसंभाग लौंडी।

विषय :– आरोप पत्र।

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बारीगढ़ वितरण केन्द्र में अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में बरती गई लापरवाही के परिप्रेक्ष्य में आपके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया जाता है। आरोप पत्र के समर्थन में आरोप का विवरण तथा उन दस्तावेजों/गवाहों की सूची, जिनके द्वारा आरोप को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, आपके सूचनार्थ संलग्न है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने प्रतिवेदन का लिखित कथन प्रस्तुत करें। साथ ही –

1– कथन करे कि क्या आप अपनी व्यक्तिगत सुनवाई की इच्छा रखते है ? एवं क्या आपको आरोप स्वीकार है ?

2– उन साक्षियों /दस्तावेजों की सूची, जिसे आप अपने बचाव के समर्थन में पेश करना चाहते हों, तो उपलब्ध करावें।

इसके अतिरिक्त आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप अपने बचाव के लिये किसी अभिलेख का निरीक्षण सारांश/प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हों तो तदाशय की सूची इस पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दें। ताकि इस प्रयोजन के लिये उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सके। बशर्ते कि इस बात का समाधान हो जावे कि अभिवांछित दस्तावेजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का पेश किया जाना लोक हित के विरुद्ध न हो। ऐसी स्थिति में ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति या उसके सारांश ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

आपकी ओर से स्वयं के बचाव के लिये आपका लिखित कथन यदि निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जावेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसी स्थिति में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– दस्तावेजों की सूची/गवाहों की सूची।

(एस. पी. सिंह)
कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि.
खजुराहो

अधीक्षण यंत्री (संधा/संधा)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., छतरपुर वृत्त
गोपनीय शाखा
क्र. 990 दिनांक 09-2-17
स्टेनो

क्र./का.सं.ख./स्टेनो/वि.जॉंच/2015–16/ 3884 खजुराहो दिनांक 09/12/16

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता (सं./सं.) म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि. छतरपुर वृत्त।
2. सहायक अभियंता (सं./सं.) म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि. उपसंभाग लौंडी – संलग्न आरोप पत्र संबंधित को सौंपकर दिनांकित पावती तत्काल उपलब्ध करावें।
3. स्थापना प्रभाग संभागीय कार्यालय खजुराहो।

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि.
खजुराहो

13/2/17
(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल 110

सत्य प्रतिलिपि

(8)

प्रपत्र ब

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 833
माननीय विधायक - श्री मानवेन्द्र सिंह
सदन में बैठक दिनांक - 23.2.17

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. छतरपुर वृत्त

क्रमांक अ.अ.छ/स्था/आ/935-36 छतरपुर दिनांक 04-2-17

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंताओं को उनके वर्तमान पदस्थी स्थान से समान पद पर स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख लेखानुसार कार्यालय में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

क	कनिष्ठ अभियंता का नाम	वर्तमान पदस्थी कार्यालय का नाम	कार्यालय का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1.	श्री के. एन. चतुर्वेदी	बारीगढ़ वित. केन्द्र(सं./सं.) संभाग खजुराहो	गौरीहार वित. केन्द्र (सं./सं.) संभाग खजुराहो
2.	श्री एस.सी.सोनी	गौरीहार वित. केन्द्र(सं./सं.) संभाग खजुराहो	बारीगढ़ वित. केन्द्र(सं./सं.) संभाग खजुराहो

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)
छतरपुर वृत्त

कार्यालयीन प्रति

क. अ.अ.छ/स्था./आ./ छतरपुर,दिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य अभियंता (सा.क्षे.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सागर।
2. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.खजुराहो।
3. सहायक अभियंता (संचा/संधा) उपसंभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. लौंड़ी।
4. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. छतरपुर।
5. कनिष्ठ अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. बारीगढ़ / गौरीहार।
6. श्री के.एन. चतुर्वेदी / श्री एस.सी.सोनी कनिष्ठ अभियंता, द्वारा–कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. खजुराहो।
7. आदेश नस्ती/व्यैक्तिक नस्ती।

टीप – 1. उपरोक्त कनिष्ठ अभियंताओं की कार्यमुक्ति/उपस्थिति से संबंधित जनकारी ई.आर.पी. में उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दर्ज किया जावे।

704

कार्यालयीन प्रति

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)
छतरपुर वृत्त

(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी सी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.